...ख ...र्य	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...0-9-21	पत्रावली पेश हुई [illegible] उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-10-21 को पेश हों।	Po Sb अवकाश पर थे
6-10-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। आदेश सुनाया गया वादी का वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

4/दावा/2011
दायरा दिनांक 06.01.2011

बउनवान

1.मोडुलाल पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी लाखेरी मृतक के उत्तराधिकारी (का.मु.)
1/1.बदाम बाई बेवा स्व0 मोडुलाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0.
1/2 लटुरलाल पुत्र स्व0 मोडुलाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0.
1/3 बृजमोहन पुत्र स्व0 मोडुलाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0.
1/4 राजेश पुत्र स्व0 मोडुलाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0.

—वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89आर0टी0एक्ट व नियम 13 क.।

उपस्थित :— 1.एडवोकेट बालकिशन रायका
2. पेरोकार सरकार

दिनांक :—06.10.2021

—: निर्णय :—

वादी द्वारा वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89आर0टी0एक्ट व नियम 13 क. में प्रस्तुत कर कथन किया कि ख0न0 3016 रकबा 0.81 है0 व ख0न0 3017 रकबा 0.24 है0

(1)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:37:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

किता 2 कुल रकबा 1.05 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला में स्थित है।उक्त कृषि भूमि पर लगभग 46 वर्षों से वादी काबिज काश्त चला आ रहा वादी ने कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर सब्जीयां फलदार वृक्ष व अन्य प्रकार के पौधे लगाये ये हैं एव स्वंय का रिहायशी मकान बाडा,कुआ इत्यादि बना रखा है।दिनांक 25.02.2009 के निर्णय तहसीलदार इन्द्रगढ के द्वारा उक्त भूमि पर वादी के पक्ष में नियमन की अनुशंषा के साथ उपखण्ड अधिकारी लाखेरी को भिजवाई गई किन्तु नियमन की कोई कार्यवाही नही होने सें वादकरण उत्पन्न हुआ और अन्त में निवेदन किया कि वादवर्णित कृषि भूमि पर वादी को वादी का पुराना कब्जा होने के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिक्री फरमाई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी राज्य सरकार जरियें तहसीलदार इन्द्रगढ को सम्मन तलब किया गया पेरोकार सरकार द्वारा जवाब सरकार प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद वर्णित आराजी की किस्म राजकीय चरागाह होने से चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तन नही की जा सकती। तथा वादी का अनाधिकृत कब्जे सम्बंधी पूर्व मे निस्तारण हो चुका है वादी द्वारा नियमन हेतु अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर , माननीय उच्चतम न्यायालय में की जा चुकी है। उक्त अपीलें माननीय न्यायालयों द्वारा खारिज की गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के सर्मथन में दस्तावेजी साक्ष्यों में खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2072 प्रर्दश 1, पेलन्ट्री रसीदें प्रर्दश 2 लगायत 5 खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2068 प्रर्दश 6, तहसील इन्द्रगढ का निर्णय दिनांक 25.02.2009, प्रर्दश 7 नकल निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 30.3.2007 , प्रर्दश 8 रजिस्टर नोटिस, प्रर्दश 9 रजिस्टर एडी रसीद, प्रर्दश 10 पावती रसीद , प्रर्दश 11 विद्युत बिल, प्रर्दश 12 लगायत 16 पेश किये गये है। एवं मौखिक साक्ष्य में स्वंय का साक्ष्य शपथ PW1 ,गवाहान PW2 भैरूलाल , PW3 गजानन्द PW4 नरेन्द्र के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी गयी दौराने बहस वादी के विद्वान अधिवक्ता ने वाद वर्णित तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि वाद वर्णित आराजी ख0न0 3016 रकबा 0.81 है0 व ख0न0 3017 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पर वादी का काफी वर्षों सें कब्जा काश्त होने से वाद वर्णित भूमि पर मुखालफाना के आधार पर कृषक खातेदार बन चुका है और अन्त में निवेदन किया कि वादवर्णित आराजी पर वादी को कृषक खातेदार घोषित किया जावे। सरकार पेरोकार ने वादी के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुये कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.12.10 18:37:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

कि वादी द्वारा वादवर्णित आराजी पर नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है।एवं शुदा भूमि की किस्म चरागाह होने से न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही मन किया सकता है।और अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध प्रर्दश 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि की किस्म चरागाह है एवं प्रर्दश 2 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि वादी का नाजायज कब्जा है वादी द्वारा कब्जे काश्त की कोई वैधानिकता की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये।वादी द्वारा उक्त विवादित भूमि के सम्बध में धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत विभिन्न न्यायालयों में की गई अपीलों के निर्णयानुसार वादी को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का निर्णय बहाल रखा गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार चरागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने को वर्जित माना गया है एसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता।

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है तद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित चरागाह भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर अतिक्रमण हटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.10.2021 को सरे इजिलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी,
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:37:52 IST
Reason: SelfAttested

(3)

Scanned by CamScanner

A.P. ड़िगरी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास श्री सुशान्त शर्मा R.A.S.

1 ½ बदाम बाई बेवा छोटूलाल बनाम 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ (जिला-बूंदी)।
जाति माली निवासी लाखेरी
तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह

- वादीगण .. - प्रतिवादीगण : PTO

दावा बाबत 88, 89 R.T.A.

मुकदमा नम्बर 4/दावा/2011 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी
श्री बालकिशन शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू पेशकार सरकार
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद कब्जे काश्त की कोई वैधानिकता की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने एवं राज. काश्त. अधिनियम की धारा 16 में चरागाह भूमि का आवंटन/नियमन वर्जित होने से खारिज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इन
मुकदमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख
से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6-10-2021 माह ....
सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस [illegible]		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:37:52 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

Y2 लड्डूलाल पुत्र स्व मोडूलाल जाति माली निवासी लाखेरी

Y3 बृजमोहन पुत्र स्व. मोडूलाल जाति माली निवासी लाखेरी

Y4 राजेश पुत्र स्व. मोडूलाल जाति माली निवासी लाखेरी

— प्रत्यर्थीगण —

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:37:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner